अनुदान संख्या 8 – उर्वरक विभाग
GRANT No. 8–DEPARTMENT OF FERTILISERS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	18049,02,00		28753,18,00	28739,65,51	–13,52,49
पूरक	Supplementary	10704,16,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					12,74,78
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	105,04,00		117,22,00	92,04,00	–25,18,00
पूरक	Supplementary	12,18,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					25,18,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2401" फसल कृषि कर्म	Major Head "2401" Crop Husbandry				
मू.	O.	761078.00	1536990.50	1536917.40	–73.10
पू.	S.	705000.00			
पु.	R.	70912.50			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	1043079.00			
पू.	S.	295000.00	1265851.75	1265850.66	–1.09
पु.	R.	–72227.25			

(I) 5.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) दिसम्बर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा :-

(का) मुख्य शीर्ष ''2401'' - ''खाद तथा उर्वरक - देशी विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए अदायगी'' - 439900.00 लाख रु.के मूल प्रावधान को 255000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढाकर 694900.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, 30083.50 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उर्वरक उद्योग - उर्वरक आर्थिक सहायता - उर्वरक प्रतिधारण कीमत स्कीम के अधीन अदायगियां'' - 936037.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 295000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1231037.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो, 40000.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें निर्धारित समय सीमा के भीतर यूरिया को आयात करने पर की जाने वाली अदायगी के लिए सांविधिक देयताओं के निर्वहन के लिए निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उर्वरक उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of Rs.5.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Supplementary grants obtained in December, 2006 and March, 2007 under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2401" - "Manures and Fertilisers - Payment for Concessional Sale of Indigenous decontrolled fertilisers" - the original provision of Rs.439900.00 lakhs was augmented to Rs.694900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.255000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.30083.50 lakhs; and

(B) Major Head "2852" - "Fertilizer Industries - Fertilizer Subsidy - Payment under Fertilizers Retention Price Scheme" - the original provision of Rs.936037.00 lakhs was augmented to Rs.1231037.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.295000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.40000.00 lakhs.

Savings under the above two heads were due to re-appropriation of funds for discharging statutory liabilities for payment on import of urea within the prescribed time limit.

(III) Under Major Head "2852" - "Fertilizer Industries" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''अनुसंधान और विकास'' -

(क) ''भारत-इंग्लैंड उर्वरक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान'' - 895.00 लाख रु. की बचत (1295.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जून, 2007 में परियोजना का समय से पहले पूरा होने के कारण हुई।

(ख) ''विभाग का विज्ञान और प्रोद्योगिकी कार्यक्रम'' - 289.22 लाख रु. की बचत (497.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''उर्वरक आर्थिक सहायता - उर्वरक भाड़ा आर्थिक सहायता स्कीम के अधीन अदायगियां'' - 31000.00 लाख रु. की बचत (105000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्धारित समय सीमा के भीतर यूरिया को आयात करने पर की जाने वाली अदायगी के लिए सांविधिक देयताओं के निर्वहन के लिए निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2401'' - उर्वरक का आयात'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 100928.17 लाख रु. का अधिक व्यय (अगस्त, 2006 और दिसम्बर, 2006 में प्राप्त किए गए 220000.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 406178.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्धारित समय सीमा के भीतर यूरिया को आयात करने पर की जाने वाली अदायगी के लिए सांविधिक देयताओं के निर्वहन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (2518.00 लाख रु.) मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 1218.00.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(A) "Research and Development" -

(a) "Grants under Indo-UK Fertilizer Development Programme" - saving of Rs.895.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1295.00 lakhs) was due to early completion of the project in June, 2007.

(b) "S&T Programme of Department" - saving of Rs.289.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.497.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(B) "Fertilizer Subsidy - Payments under Fertilizers Freight Subsidy Scheme" - saving of Rs.31000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.105000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds for discharging statutory liabilities for payment on import of urea within the prescribed time limit.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2401" - "Import of Fertilizers" – excess of Rs.100928.17 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.406178.00 lakhs including supplementary grant of Rs.220000.00 lakhs obtained in August, 2006 and December, 2006) was due to requirement of additional funds for discharging statutory liabilities for payment on import of urea within the prescribed time limit.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.2518.00 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.1218.00 lakhs obtained in March, 2007 and constituted 21 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1000.00			
पु.	R.	–1000.00	. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष "6855" उर्वरक उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6855" Loans for Fertilizer Industries				
मू.	O.	6418.00			
पू.	S.	1218.00	6118.00	6118.00	. .
पु.	R.	–1518.00			

(I) 1000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजना/स्कीम के लिए एकमुश्त प्रावधान" के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552" – "Other Expenditure- Lump sum provision for Project/Scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

(II) मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" के अंतर्गत 1515.00 लाख रु. की बचत (2515.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम से कर्जों के संबंध में कम मांग होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6855" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Brahamputra Valley Fertilizers Corporation Ltd." - saving of Rs.1515.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2515.00 lakhs) was due to less demand for loans from Brahamputra Valley Fertilisers Corporation.